CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.

1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)

प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ – 226 010

फोन / फैक्स : 0522–2304706, वेबसाइट : www.upite.gov.in/ceg ई–मेल : ceglko.up@gmail.com

Ref No.-CeG/P/9/15/560/2023
Date- 23.3.2023

सेवा में,

1– मण्डलायुक्त,
समस्त मण्डल, उ0प्र0।

2– जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषयः– प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सेवाओं को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पत्र संख्या–992 / 86–2022, दिनांक 22.08. 2022 ***(छायाप्रति संलग्न)*** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें जनहित गारण्टी अधिनियम, उ0प्र0 के अन्तर्गत सेवायें भी सम्मिलित है, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं विभाग की सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से 43 विभागों की 280 शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसका अनुश्रवण निरंतर उच्च स्तर पर किया जा रहा है।

3– उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निम्न सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से पोर्टल पर इंटीग्रेटेड रूप में आम जनमानस को उपलब्ध करा दी गयी हैं :–

1	Online Registration for mining/transportation of ordinary earth for farmers personal use from their own land.
2	Online Application for mining permit for sand/morrum on agricultural land.
3	Online Registration for minor mineral retailers.

4– प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा उक्त संदर्भित सेवा को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने पर विभाग द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है।

5– उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों के सम्बन्ध में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही उसी तरह की जायेगी, जिस तरह वे वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल (https://minemitra.up.gov.in) पर कर रहे हैं।

6– उपरोक्त सेवायें आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–19 / 2020 / 1085 / 78–2–2020–34आई.टी. / 2010, दिनांक 22.10.2020 ***(छायाप्रति संलग्न)*** में निर्धारित

यूजर चार्जेज की शुल्क धनराशि रू0 30.00 जन सेवा केन्द्रों द्वारा आम जनमानस से प्राप्त की जायेगी, जो खनिज नियमावली के अन्तर्गत देय शुल्क/धनराशि के अतिरिक्त होगी। जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का अंश विभाजन निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	सेवा	यूज़र चार्ज़ का अंश विभाजन (रू0)				
		डी.एस.पी. /वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूज़र चार्ज़ (रू0)
1.	विभाग की सेवा	15	03	10	02	30

7– उक्त के क्रम में आवेदक के अनुरोध पर जन सेवा केन्द्रों के अधिकृत जन सेवा केन्द्र संचालक (वी.एल.ई.) द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल यूपी माईन मित्रा (https://minemitra.up.gov.in) पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुये सेवा प्रदान की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक–यथोक्त।

(अक्षय त्रिपाठी)
राज्य समन्वयक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
5. श्री शैलेष श्रीवास्तव, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. समस्त डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित कि उनके द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सेवाओं को अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से करते हुये आम जनमानस को सेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अक्षय त्रिपाठी)
राज्य समन्वयक

संख्या-19/2020/1085 /78-2-2020-34 आई.टी/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
   डी.ई.जी.एस. सोसाइटी, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

विषयः राज्य में जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.-3.0) परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आई.टी. एवं इले0 अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-497/78-2-2019-34आईटी/2010 दिनांक 13 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.-3.0) परियोजना अन्तर्गत शासकीय सेवायें प्रदान किये जाने के लिये यूज़र चार्ज़ का निर्धारण तथा सी.एस.सी.-3.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं के चयन हेतु आर.एफ.पी. (RFP) प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त के क्रम में राज्य समन्वयक, सीईजी ने अपने पत्र संख्या–सीईजी /जी/148/196 /2020 दिनांक 15-10-2020 द्वारा अवगत कराया है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.) द्वारा सी.एस.सी.-3.0 परियोजना की आर.एफ.पी. का प्रकाशन कर निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। राज्य स्तर पर दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 को सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 (सी.ई.जी.) द्वारा समस्त डी.ई.जी.एस. सोसाइटी एवं चयनित डी.एस.पी. संस्थाओं के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सी.एस.सी.-3.0 की आर.एफ.पी. में उल्लिखित नियमों के अनुसार प्रति जनपद 02 डी.एस.पी. संस्थाओं का चयन कर सभी 75 जनपदों में आवंटन पूर्ण कर लिया गया है। आर. एफ.पी. के अनुसार समस्त 75 जनपदों को 3 श्रेणियों में दर्शाते हुए प्रति जनपद चयनित 02 डी.एस.पी. संस्थाओं की सूची इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

3- प्रति जनपद नवीन 02 डी.एस.पी. संस्थाओं का चयन पूर्ण होने के उपरान्त सी.एस.सी.-3.0 परियोजना का क्रियान्वयन किये जाने हेतु परियोजना से सम्बन्धित सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा सी.एस.सी.-3.0 की आर.एफ.पी. में उल्लिखित नियमों/शर्तों के अनुरूप समयबद्ध रूप से कार्यवाही पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

4- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13-7-2020 के अनुसार सी.एस.सी.-3.0 परियोजना की नवीन व्यवस्था में जन सेवा केन्द्रों पर आम नागरिकों से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल

(https://edistrict.up.gov.in/) पर उपलब्ध प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक आवेदन के लिये निम्नानुसार यूज़र चार्ज़ लिया जायेगा जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स का अंश निम्नवत् होगाः-

क्र0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश विभाजन (रू0) में				
		डी0एस0पी0/ बी0एल0ई0	सम्बन्धित विभाग	डी0ई0जी0एस0	सी0ई0 जी0	कुल यूजर चार्ज (रू0)
1-	समस्त जी2सी सेवायें	15	03	10	02	30

5- सी.एस.सी.-3.0 परियोजना दिनांक 16 नवम्बर, 2020 से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रभावी होगी।

6- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी.एस.सी.-3.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स से आवश्यक समस्त कार्यवाही समयवद्ध रूप से पूर्ण कराते हुए सी.एस.सी.-3.0 परियोजना का संचालन निर्धारित तिथि से किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्याः19/2020/1085तद्दिनॉक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 15-10-2020 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी डी.ई.जी.एस. सोसाइटी एवं नवीन चयनित डी.एस.पी. संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह सी.एस.सी.-3.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग उपलब्ध करायें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग
संख्या- 912/86-2022
लखनऊ: दिनांक- 22 अगस्त, 2022

विशेष सचिव,
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कृपया प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सेवाओं को आम जन मानस तक उपलब्ध कराने विषयक निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पत्र संख्या-659/एम-1ए 244/2022(जनसेवा केन्द्र), दिनांक 03.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं जिनमें जनहित गारंटी अधिनियम उ0प्र0 के अन्तर्गत सेवायें भी सम्मिलित हैं, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं उन सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक पोर्टल (http://edistrict.up.gov.in) पर इन्टीग्रेट किया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निम्न सेवाएं विभागीय माइनमित्रा पोर्टल (http://minemitra.up.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

अ- उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अन्तर्गत :-

क्र.स.	सेवा का नाम	नियम
1	किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि से स्वयं के उपयोग के लिए साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण	नियम-51
2	कृषि भूमि पर उपखनिज बालू/मौरम के खनन अनुज्ञा पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन	नियम-52
3	भवन/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में निकले उपखनिजों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन आवेदन	नियम-53
4	पट्टाधारकों द्वारा उपखनिजों के देय धनराशि का ऑनलाइन भुगतान	नियम-27(3)
5	ईंट भट्ठा हेतु विनियमन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान	नियम-21(2)
6	प्रवर्तन के दौरान पायी गयी अनियमितता के लिये चालना को जारी ई-नोटिस के विरुद्ध ऑनलाइन धनराशि जमा करना	नियम-72(6)

ब- उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अन्तर्गत :-

क्र.स.	सेवा का नाम	नियम
1	उपखनिजों के भण्डारण अनुज्ञप्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन	नियम-6
2	फुटकर उपखनिज विक्रेता का ऑनलाइन पंजीकरण	नियम-6

अतएव उक्त सेवाओं को एन0आई0सी0 के तकनीकी टीम की सहायता से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कराते हुए आम जनमानस को उपलब्ध कराया जाना है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

(1) ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों के सम्बन्ध में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह कार्यवाही किया जायेगा, जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर कार्यवाही कर रहे हैं।

(2) उपरोक्त सेवाएं आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश सं0-19/2020/1066/78-2-2020-34आई0टी0/2010, दिनांक 22.10.2020 में निर्धारित यूजर चार्जेज की धनराशि शुल्क रू0-30/- जनसेवा केन्द्रों द्वारा

आम जनमानस से ली जायेगी, जो खनिज नियमावली के अन्तर्गत देय शुल्क/ धनरा[illegible] के अतिरिक्त होगी।

(3) आवेदक के अनुरोध पर जनसेवा केन्द्रो के अधिकृत ऑपरेटर द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल [illegible] माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल यूपीमाइनमित्रा पर दी गयी आवेदन [illegible] प्रक्रिया यथा नियम, फीस भुगतान की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा एवं विभागी[illegible] पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क/धनराशि को पोर्टल से लिंक्ड खनिज विभाग के लेखा शीर्षक [illegible] जमा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध सेवाऐं ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कराते हुए जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–659 /एम–1ए 244/2022(जनसेवा केन्द्र), दिनांक 03.08.2022 के सन्दर्भ में सूचनार्थ तथा यथावश्यक [illegible] होने पर एन0आई0सी0 तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।